UPGB010055662026

न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 2244 सन् 2026

1—मोहित राजपूत पुत्र श्री विजयपाल राजपूत,
2—तरूण ठाकुर पुत्र श्री ओमपाल **प्रति** उ0प्र0 सरकार।

आदेश / 17.06.2026

1. आवेदकगण / अभियुक्तगण मोहित राजपूत व तरूण ठाकुर द्वारा मु0अ0सं0 218 / 2026, अंतर्गत धारा 351(3), 352, 309(6) भा0न्याय0सं0, थाना सैक्टर—39, जिला गौतमबुद्धनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा राजेन्द्र चौहान द्वारा दिनांक 18.05.2026 को समय 02:52 बजे थाना सैक्टर—39, जिला गौतमबुद्धनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि मैं दिनांक 14.05.2026 की रात्रि 12:00 बजे के करीब मोरना जाने के लिए सुलभ शौचाल हरिजन बस्ती कट के पास खड़ा था कि तभी एक सफेद रंग की कार मेरे पास आकर रूकी। उस कार में 04 लोग पहले से सवार थे। उन्होंने मुझे मोरना जाने के लिए बिठा लिया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद किराये को लेकर मेरी उनसे कहा सुनी हो गयी तथा उन चार लोगों ने मेरे साथ गाली गलौंच तथा मारपीट शुरू कर दी तथा मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद वे लोग मुझे सैक्टर—36 के पार्क के पास उतारकर चले गये।

3. आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत में यह आधार लिया गया है कि आवेदकगण / अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 04 दिन की देरी से लिखायी गयी है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 115(2), 352, 351(3) भा0न्याय0सं0 में दर्ज करायी गयी है, जबकि पुलिस ने अपनी मन मर्जी से धारा 115(2) भा0न्याय0सं0 के स्थान पर धारा 309(6) भा0न्याय0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी है, जबकि एफआईआर में वादी ने इस तरह की घटना कारित होनी नहीं बतायी गयी है और न ही उसने कोई लूट होना बताया है। आवेदककण / अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक / अभियुक्त तरूण ठाकुर केपिता जी की मृत्यु हो चुकी है तथा अपने परिवार में बड़ा होने के नाते सूरजपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया में मजदूरी करता है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 17.05.2026 को अपनी नौकरी करके घर जा रहा था, रात्रि होने के कारण पुलिस ने जबरदस्ती थाने ले जाकर अवैध धन की मांग की और अवैध धन देने में असमर्थता प्रकट की तो पुलिस वालों ने झूठा मुकदमा लगा दिया। उन्हें जमानत प्रदान कर दी जाये।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

6. अभियोजन के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी मुकदमा से लूट कारित करते समय स्वेच्छया उपहति कारित करने, गाली गलौंच करने व बरामदगी का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र जन साक्षी होना नहीं कहा गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 21.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। सह अभियुक्त दीपांशु की जमानत दिनांक 04.06.2026 को स्वीकार हो चुकी है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय के मत में आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **मोहित राजपूत व तरूण ठाकुर** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा **पचास हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का **एक–एक प्रतिभू** न्यायालय में दाखिल करने पर न्यायालय की संतुष्टि पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग देने पर रिहा किया जाए कि–

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण, विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण, वादी मुकदमा पक्ष पर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनायेंगे और न ही गवाहों को डरायेंगे, धमकायेंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं होंगे। यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी अपराध में संलिप्त पाये जाते हैं तो उनकी जमानत निरस्त किये जाने हेतु न्यायालय स्वतंत्र है।

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
जनपद गौतमबुद्धनगर
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 6075)

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.06.18 09:53:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court